न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2025/16

अपील संख्या – 09/25

राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र बजरंगलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी छीपा मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर वसीयती वारिस मृतका हरिप्रिया उर्फ लाड बाई पुत्री केसरलाल पत्नि रामकुवार जाति ब्राहम्ण।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती अर्चना शर्मा पत्नि लोकेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मिश्र मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर
2. श्रीमती इन्द्रा पुत्री मनमोहन पत्नि रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी हिन्दुपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
3. श्रीमती मंजू पुत्री मनमोहन पत्नि रविकान्त जाति ब्राहम्ण निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
4. तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 74/22 निर्णय दिनांक 23.12.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री रघुनन्दन सिह राजावत

अभिभाषक रैस्पो0 श्री आशीष जैन

दिनांक 29.07.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.12.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीयां/रेस्पो0 न0 1 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीयां की कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 872 रकबा 0.08 है0, 873 रकबा 0.01 है0, 874 रकबा 0.02 है0, 875 रकबा 0.16 है0, 876 रकबा 0.12 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.39 है0 कस्बा सवाई माधोपुर मे स्थित है। प्रार्थीयां ने उक्त आराजी खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से साधिकार नियमानुसार बजरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 1.11.2011 को खरीदकर कब्जा मालिकाना पाया है। वर्तमान मे उक्त आराजी प्रार्थीयां के खातेदारी मे इन्द्राजित है। उक्त आराजी का साबिक ख0न0 402 रकबा 12 विस्वा, 403 रकबा 6 विस्वा, 404 रकबा 8 विस्वा, 405 रकबा 5 विस्वा है। अप्रार्थीयां डिक्रीदार हरिप्रिया उर्फ लाडबाई ने एक राजस्व वाद वर्ष 1981 मे वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार उदघोषित करने, स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने व वादग्रस्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता मनमोहन से दिलवाने बाबत किया था जो राजस्व वाद संख्या 618/1981 उनवानी हरिप्रिया उर्फ लाडबाई बनाम मनमोहन न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर की अदालत से दिनांक 14.12.83 को निम्नानुसार विवेचन के साथ खारिज किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

फलस्वरूप उक्त विवेचनो के अनुसार वादिया का वाद मियाद बाहर होने के अलावा उसके नियमित कब्जे काश्त बाबत भी कोई प्रमाण नही मिलने के कारण दावा वादिया खारिज किया जाता है " उप जिलाधीश सवाई माधोपुर के उक्त निर्णय के विरूद्व हरिप्रिया उर्फ लाडबाई ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील पेश की जो 12.6.87 को राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राजात विषयक संदिग्धता के पुनः न्यायिक निर्णयार्थ उप जिलाधीश सवाई माधोपुर को रिमाण्ड की गई। जिसके वाद प्रकरण पुन उप जिलाधीश सवाईमाधोपुर के समक्ष लंबित रहते हुए मनमोहन का देहान्त हो जाने पर अप्रार्थीयां संख्या 2 व 3 को बतौर कायम मुकाम रिकार्ड पर लिया गया और जबाब दावा पेश करने के अवसर बाबत विधिक आपत्ति के निस्ताणार्थ प्रकरण लंबित रहते ही उक्त 1981 का राजस्व वाद 4.7.95 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया। जो प्रकरण अंतिक हो गया। वादग्रस्त आराजी माफीदार केसरलाल पुत्र प्रभूसहाय के नाम थी जो कालान्तर मे केसरलाल के देहान्त पर उसकी बेवा श्रीमती नैनी के नाम माफी मे इन्द्राजित हुई। इसके खातेदारी कालम मे भी कल्याण पुत्र श्री बिहारी का नाम रहा है जो कल्याण पुत्र श्री बिहारी ही आरंभ से अन्त तक इस पर काबिज होकर सतत काश्त करता रहा है। और सम्वत 2021 से 2024 के दौरान राजस्थान लैण्ड रिफार्म एण्ड रिजम्शन एक्ट 1955 के प्रभाव मे आने पर भूमि माफी से रिज्यूम होकर कल्याण पुत्र बिहारी के खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने पर इसी के कब्जा काश्त खातेदारी मे इन्द्राजित हो गई। श्री कल्याण पुत्र श्री बिहारी लाल का वर्ष 1971-72 मे देहान्त हो जाने पर यह भूमि 2.3.72 के नामा0 आदेश से कल्याण के भ्राता रामदास के नाम इन्द्राजित हो गई और रामदास का कब्जा काश्त खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर निर्बाध चलता रहा है। वादग्रस्त आराजी पर और वर्ष 1977 मे श्री रामदास के देहान्त पर उक्त आराजी अप्रार्थीयां संख्या 2 व 3 के पिता मनमोहन के नाम जरिये नामा0 विरासत दिनांक 31.5.77 को इन्द्राजित हुई। तदपरान्त मनमोहन के देहान्त पश्चात वादग्रस्त आराजी 2.8.97 के नामा0 आदेश से अप्रार्थीयां 2 व 3 के नाम कब्जा काश्त खातेदारी मे दर्ज हुई है जिस पर इन्ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कब्जा साधिकार नियमानुसार निर्बाध बदस्तूर सतत रहा है। जिनसे प्रार्थीयां ने उक्त आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिफल कय कर कब्जा खातेदारी प्राप्त किया है। जब से ही प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार सदभावी केता काबिज होकर सतत निर्बाध काश्त करती चली आ रही है और इसमे निर्मित हिस्से पर प्रार्थीयां का ही कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। अप्रार्थीयां हरिप्रिया उर्फ लाडबाई जरिये राजेन्द्र प्रसाद अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त राजस्व इन्द्राजात व कब्जा की सत्यता व 1981 के पूर्व के राजस्व वाद मे असफलता की सत्यता को छिपाकर न्यायालय मे नवीन वाद 13.11.2000 को पेश किया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत दिनांक 19.5.2003 को डिक्री किया गया है और राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 17.11.2003 को अपील खारिज कर पुष्ट किया गया है और इसके विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर मे पेश द्वितीय अपील भी दिनांक 9.1.20 को खारिज की जाकर इस न्यायालय के आदेश को पुष्ट किया गया है। इस दौरान राजस्व मंडल अजमेर मे भी मृतका हरिप्रिया उर्फ लाडबाई के बसीयती वारिस के रूप मे राजेन्द्र प्रसाद रिकार्ड पर बजरिये आदेश दिनांक 24.8.19 आया है जो ... कथित वसीयत के आधार पर बतौर कायम मुकाम रिकार्ड पर आया है। राजेन्द्र द्वारा कथित वसीयत दिनांक 8.9.2000 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मुख्तारनामा भी राजेन्द्र के पक्ष का है जबकि इसके वाद दावा स्वंय हरिप्रिया उर्फ लाडबाई के स्वयं के नाम से दिनांक 13.11.2000 को पेश हुआ जो इन दस्तावेजो को फर्जी कूटरचित जाली संदिग्ध ताईद करता है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीयां को उक्त राजस्व वाद से व इसकी प्रगति से अनभिज्ञ रखा है। प्रार्थीयां सदभावी सप्रतिफल क्रेता है। मृतक हरिप्रिया उर्फ लाडबाई की फर्जी वसीयत के आधार पर राजेन्द्र उक्त वाद को डिक्री की इजराय मे प्रार्थीयां के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त राजस्व इन्द्राजात मे माने मजाहमत कारित करता है। प्रार्थीयां को भूमि से बेदखल करने की धमकी देता है। यधपि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 राजस्थान उच्च न्यायालय मे प्रकरण लंबित होना जाहिर कर रहे है । इस पर भी जहॉ तक राजस्व रिकार्ड तब्दील करने का प्रश्न है तो वर्तमान मे इन्द्राजात प्रार्थीयां के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसे सुने बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना डिक्री व निर्णय दिनांक 19.5.2003 की उक्त इजराय संख्या 2/20 पेशी दिनांक 6.10.2020 मे प्रार्थीयां के विरूद्व कार्यवाही नही की जा सकती है। प्रश्नगत निर्णय व डिक्री प्रार्थीयां के विरूद्व निष्पादनीय आवद्वकारी नही है। जिसकी आड मे प्रार्थीयां को भूमि से बेदखल नही किया जा सकता है ना ही प्रार्थीयां का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जा सकता है। क्योकि प्रश्नगत डिक्री मे प्रार्थीयां को सुना ही नही गया है। लिहाजा यह उज्रदारी आपत्ति दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अतः इस आशय से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि उप जिलाधीश सवाई माधोपुर दिनांकित 19.5.03 बमुकदमा उनवानी हरिप्रिया बनाम श्रीमती इन्द्रा मु0न0 125/2000 निर्णय दिनांक 17.11.03 एवं राजस्व मंडल अजमेर का निर्णय दिनांक 9.1.20 की आड मे प्रार्थीयां के कब्जा काश्त खातेदारी इन्द्राज मे माने मजाहमत मदालखत कारित ना करे और इनकी इजराय मे किसी प्रकार की कार्यवाही नही करे मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण निर्णय व डिक्री उप जिलाधीश सवाई माधोपुर दिनांकित 19.5.03 मु0न0 125/2000 एवं प्रथम अपील निर्णय व डिक्री राजस्व अपील प्राधिकारी निर्णय दिनांक 17.11.03 एवं राजस्व मंडल अजमेर का निर्णय दिनांक 9.1.20 की आड मे प्रार्थीयां कब्जा काश्त खातेदारी इन्द्राज मे माने मजाहमत नही करे मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीयां /रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का जैर अपील निर्णय विधि विरूद्व एवं तथ्यो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नही किया कि जो उज्रदारी वाद रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक ... राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 17.11.03 तथा राजस्व मंडल अजमेर द्वारा निर्णय व डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दिनांक 9.1.20 बहाल रखा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.3.2003 को रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर हरिप्रिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। जिसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय जैर निर्णय कर अहम भूल की है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नही किया कि प्रार्थीयां रेस्पो0 द्वारा जैर विवादित आराजीयात दौराने अपील रेस्पो0 संख्या 2 व 3 से खरीद की है और रेस्पो0 संख्या 2 व 3 विक्रेता है जिनकी अपीले खारिज हो चुकी है जा जैर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर दिनांक 1.11.11 अपीलार्थी के विरूद्व कानून पठनीय नही होने जैर विक्रय पत्र प्रभावहीन व शून्य है। जिसके बाबजूद जैर निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है सो जैर निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नही किया कि निर्णय दिनांक 19.3.03 व ता अपील राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 9.1.20 द्वारा बहाल रखा गया है सो रेस्पो0 संख्या 2 व 3 जैर निर्णय से आवद्व होने के साथ साथ परचेजर रेस्पो0 संख्या 1 पर भी बाइन्डिग है तथा जैर निर्णय व डिक्री से आवद्व होने के कारण किसी प्रकार की उज्रदारी अथवा वाद करने से प्रवारित होने के कारण वाद पत्र उज्रदारी ग्रहण योग्य ही नही था जिसे मनमाने ढंग से अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधान धारा 52 टी पी के विरूद्व जैर निर्णय पारित किया जो इसी बिना पर खारिज किये जाने योग्य है। निर्णय व डिक्री दिनांक 19.3.03 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे दर्ज जैर विवादित आराजीयात अपीलार्थी वसीयत हरिप्रिया की माता नेनी देवी के नाम खातेदारी दर्ज थी जो कल्याण पुत्र बिहारी के नाम किस विधिक अधिकार से दर्ज की गई जिसे रेस्पो0 संख्या 2 व 3 साबित करने मे असफल रही है। यह तथ्य अपीलीय हाजा के निर्णय दिनांक 17.11.2003 मे अपने फैसले मे अंकित किया कि अपीलार्थीगण यानि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 कमश इन्द्रा व मंजू का वैध अधिकार किसी प्रकार है यह साबित नही कर पाई कि उनका विवादित आराजी जो मु0 नेनी पत्नि केसर की भूमि है किस प्रकार इन्ट्रेस्ट रखते है महज बन्दोबस्त द्वारा मनमोहन की खातेदारी मे अंकित हो जाने से मनमोहन के वारिसान को विधिक अधिकारी नही माना जा सकता। सेटलमेंट को पूर्व के अंकनो को ही रिपीट करने का अधिकार है उन्हे अपने स्तर पर अंकन करने या उन्हे कलमजन करने का अधिकार नही है बाबजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विवेव का उपयोग किये तथा विधि के प्रावधानो के विरूद्व जैर निर्णय पारित किया जो खारिज किये जाने योग्य है। जैर विवादित आरजीयात पर रेस्पो0 संख्या 2 व 3 इन्द्रा,मंजू का कोई कब्जा नही था यदि कब्जा होता तो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.11.2011 को रेस्पो0संख्या 2 व 3 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे किये गये विक्रय पत्र मे मौके पर बने हुएं मकानात की नाप सही अंकित होती। विक्रय पत्र के पेज न0 6 की पंक्ति संख्या 10 व 11 मे दर्ज 8 गुणा 8 का पटटी पोश कमरा व 15 गुणा 8 का पटटी पोश बरामदा व 8 गुणा 8 फीट टीन पोश बना हुआ है। जबकि मौके पर 9.5 गुणा 9 फीट का कमरा बना हुआ है कमरा व बरामदा की लम्बाई 32 फीट 10 इंन्च है जबकि विक्रय पत्र के अनुसार कमरा व बरामदा की लम्बाई 23 फीट लिखी हुई है इससे स्पष्ट साबित होता है कि इन्द्रा,मंजू यानि रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का दिनांक 1.11.2011 को या उससे पूर्व कब्जा ही नही था बल्कि अपीलार्थी का कब्जा था। यदि रेस्पो0 संख्या 1 का जैर आराजीयात पर कब्जा होता तो अपीलार्थी उसे उस समय चल रही अपील मे बतौर रेस्पो0 बनाता इससे भी यह ... कि रेस्पो0 का कब्जा नही था

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बरवक्त सेल डीड रेस्पो0 को जैर आराजीयात का विवाद यानि अपील चल रही होना ज्ञात था और अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन था सो जैर आराजीयात रेस्पो0 संख्या 2 व 3 जैर आराजीयात का विक्रय नही कर सकती थी इसलिए जैर आदेश धारा 52 टी पी एक्ट का उल्लंघन होने से जैर आदेश खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का जैर आराजीयात पर विधिक अधिकार एवं कब्जा होता तो क्रोस अपील पेश कर सकती थी सो नही की गई इससे यह साबित है कि रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का जैर विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का विधिक हक व कब्जा नही था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जैर आदेश पारित कर अहम भूल की है इसलिए जैर निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का कब्जा नही होते हुए मात्र जमाबंदी मे नाम दर्ज होने के जैर आदेश पारित कर अहम भूल की है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओ पर कोई गौर नही कर अहम भूल की सो जैर आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 23.12.24 खारिज फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी ख0न0 872 रकबा 0.08 है0, 873 रकबा 0.01 है0, 874 रकबा 0.02 है0, 875 रकबा 0.16 है0, 876 रकबा 0.12 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.39 है0 कस्बा सवाई माधोपुर मे स्थित है। प्रार्थीयां ने उक्त आराजी खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से साधिकार नियमानुसार बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.11.2011 को खरीदकर कब्जा मालिकाना पाया है। वर्तमान मे उक्त आराजी प्रार्थीयां के खातेदारी मे इन्द्राजित है। उक्त आराजी का साबिक ख0न0 402 रकबा 12 विस्वा, 403 रकबा 6 विस्वा, 404 रकबा 8 विस्वा, 405 रकबा 5 विस्वा है। रेस्पो/अर्चना ने विवादित आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रतिफल अदा कर खरीद किया है इस प्रकार प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 सदभाविक क्रेता है। अपीलांट अधिवक्ता का बार बार कथन रहा कि विवादित आराजीयात पर रेस्पो0/अर्चना का कब्जा नही है परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जो अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि करता हो जबकि सत्यता यह है कि विवादित आराजीयात पर कब्जा रेस्पो/प्रार्थीयां अर्चना का क्रय दिनांक से निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी माफीदार केसरलाल पुत्र प्रभूसहाय के नाम थी जो कालान्तर मे केसरलाल के देहान्त पर उनकी बेवा श्रीमती नेनी के नाम माफी मे इन्द्राजित हुई। इसके खातेदार कालम मे श्री कल्याण पुत्र बिहारी का नाम रहा है जो कल्याण पुत्र बिहारी ही आरंभ से अन्त तक इस पर काबिज होकर सतत काश्त करता रहा है और सम्वत 2021 से 2024 के दौरान राजस्थान लैण्ड रिफार्म एण्ड रिजम्शन एक्ट 1955 के प्रभाव मे आने पर भूमि माफी से रिज्यूम होकर कल्याण पुत्र बिहारी के खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने पर इसी के कब्जा काश्त खातेदारी मे इन्द्राजित हो गई। कल्याण पुत्र बिहारी का वर्ष 1971–72 मे देहान्त हो जाने पर यह भूमि 2.3.72 के नामा0 आदेश से कल्याण के भ्राता रामदास के नाम इन्द्राजित हुई और रामदास का कब्जा काश्त खातेदारी इन्द्राज बदस्तुर चलता रहा है। वादग्रस्त आराजी पर वर्ष 1977 मे रामदास के देहान्त पर [illegible] अप्रार्थीयां संख्या 2 व 3 के पिता मनमोहन के नाम बजरिये नामा0 विरासत दिनांक [illegible] 77 [illegible] हुई। तत्पश्चात मनमोहन के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त आराजी 2.8.97 के नामा0 आदेश से अप्रार्थीया संख्या 2 व 3 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी दर्ज रहते समय ही प्रार्थीयां अर्चना द्वारा विवादित आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया है। तथा क्रय दिनांक से ही विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त बदस्तुर लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। विवादित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीयां संख्या 2 व 3 द्वारा भी सहमति प्रकट की गई है। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा होने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई प्रमाण पेश नही किया है ना ही इस न्यायालय मे पेश किया गया है। विवादित आराजीयात की वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी रेस्पो/प्रार्थीयां अर्चना के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीयां की खातेदारी की भूमि से प्रार्थीयां को अपीलांट द्वारा जबरन किसी समक्ष न्यायालय मे आदेश के बिना बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 को अपूर्णनीय क्षति होती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्व रिकार्ड का विधिक रूप से अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थीयां अर्चना द्वारा भूमि वर्तमान खसरा न0 आराजी ख0न0 872 रकबा 0.08 है0, 873 रकबा 0.01 है0, 874 रकबा 0.02 है0, 875 रकबा 0.16 है0, 876 रकबा 0.12 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.39 है0 कस्बा सवाई माधोपुर को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से साधिकार नियमानुसार बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.11.2011 को खरीद किया गया है। उक्त विवादित आराजीयात से अपीलांट द्वारा प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 को बेदखल करने की धमकी दिये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीयां/अर्चना का कब्जा नही है ना ही विक्रेता इन्द्रा व मंजू का था। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि विवादित आराजीयात को प्रार्थीयां अर्चना द्वारा प्रकरण के अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए क्रय किया गया है। जो नल एण्ड बोईड है। हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमे हक एवं अधिकारो का निर्धारण नही होता है। चूकिः विवादित आराजीयात की वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी प्रार्थीयां अर्चना के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विवादित आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया है इस प्रकार प्रार्थीयां उक्त आराजीयात की सदभावी केता साबित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीयां/रेस्पो0 के पक्ष मे साबित होता है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा होने के संबंध मे अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इस कारण सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होता है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होने से अपीलांट को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मुकदमा 74/22 मे पारित निर्णय दिनांक 23.12.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner